न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 02/2021

GCMS NO. : 2021/8

–: प्रार्थीगण :– बनाम –: अप्रार्थीगण :–

प्रार्थीगण:

1. मोहनलाल पुत्र श्यामलाल जाति– मेघवाल, निवासी–हुनावास कलां, तहसील–जैतारण, जिला पाली।

अप्रार्थीगण:

1. आनन्दी पत्नी इन्द्रचंद
2. मोहनलाल पुत्र देवराज
3. राजूल छाजेड़ पत्नी मोहनलाल छाजेड़
4. इन्द्रचंद पुत्र देवराज जाति जैन निवासी मोदियो की गली जैतारण।
5. मोहनलाल पुत्र मोतीराम जाति जैन निवासी कृषि उपज मण्डी दुकान नम्बर 12 जैतारण।
6. गौतममल पुत्र पारसमल फौत के कायम मुकाम
   - 6.1 सुशीला पत्नी गौतममल
   - 6.2 सिद्धार्थ पुत्र गौतममल
   - 6.3 सेणिक पुत्र गौतममल
   - 6.4 सुधीर पुत्र गौतममल
7. नरपतमल पुत्र पारसमद नाऔलाद फौत
8. विरेन्द्रमल पुत्र पारसमल
9. गुमान कंवर पुत्री पारसमल फौत के कायम मुकाम
   - 9.1 राजेन्द्र पुत्र गुमान कंवर
   - 9.2 महेन्द्र पुत्र गुमान कंवर
   - 9.3 बिजु पुत्र गुमान कंवर
   - 9.4 रमेश पुत्र गुमान कंवर
   - 9.5 तारा बाई पुत्री गुमान कंवर
10. नेम कंवर पुत्री पारसमल फौत के कायम मुकाम
    - 10.1 सुरेन्द्रमल पुत्र नेम कंवर
    - 10.2 सुरेश पुत्र नेम कंवर
    - 10.3 दिनेश पुत्र नेम कवंर
    - 10.4 राकेश पुत्र नेम कंवर
    - [illegible] गुन्नी देवी पुत्री नेम कंवर
    - [illegible] देवी पुत्री नेम कंवर
11. [illegible]द्रा कंवर पुत्री पा[illegible]
12. [illegible]बोध मल पुत्र सुमे[illegible]
13. सुजानमल पुत्र सुगेरमल
14. लाड कंवर पुत्री सुमेरमल

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:52:57 IST
Reason: SelfAttested

15. पुष्पा कंवर पुत्री सुमेरमल
16. रूपा कंवर पुत्री सुमेरमल
17. श्रीमती रेखा पुत्री सुमेरमल
18. सुर्यप्रकाश पुत्र पानमल
19. संगीता पुत्री रणजीतमल
20. कमला पत्नी रणजीतमल
21. मनमल पुत्र चांदमल
22. कानमल पुत्र चांदमल जातियान जैन निवासीगण पोकरणा की पोल जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली।
23. तहसीलदार जैतारण, तहसील- जैतारण, जिला- पाली, राजस्थान।

राजस्व **प्रार्थना पत्रबाबत्** अस्थाई **निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी** अधिनियम,1955

तारीख रजू:-07.01.2021

उपस्थितः-

1. श्रीसुरेश चौधरी,अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री शाकीर हुसैन, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

-:: निर्णय :: **-दिनॉकः-29/08/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थनापत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया किप्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र जैतारण तहसील जैतारण, जिला पाली राजस्थान में खसरा नम्बर 06रकबा 10-03बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। जिसकी नकल चालू जमाबंदी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। सुविधा की दृष्टि से इस भूमि को प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए राजस्व मौजा सोमावास में पटवार हल्का जैतारण में स्थित खसरा संख्या 94 रकबा 16-09 वीघा किस्म चाही सोयम कि अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि आई हुई है। प्रार्थी आने विवादित खसरा संख्या 06 की भूमि में अप्रार्थीगण की खसरा संख्या 94 की भूमि में निर्विवाद रूप से आवागमन करते रहे है। प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि 06 में आवागमन के लिए खसरा संख्या 94 की अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से होते हुए मौके पर स्थित 40 फुट चौड़े रास्ते से आवागमन करते रहे है। एवं उक्त 40 फुट चौड़े रास्ते से होते हुए प्रार्थी के अलावा अन्य पड़ौसी खातेदार भी आवागमन करते रहे है। प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की विवादित खसरा संख्या 06 की भूमि में आवागमन के लिए अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 94 की भूमि में स्थित रास्ते के अलावा विकल्पेन अन्य कोई रास्ता भी उपलब्ध नही है। इस प्रकार से मौके पर स्थित इस रास्ते का नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा है उक्त नजरी नक्शे में मार्क ए से बी से दर्शित 40 फुट चौड़े रास्ते से प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि में आवागमन कर रहा है। जहा प्रार्थी से पूर्व पूर्ववर्ती खातेदार भी इसी रास्ते से होकर आवागमन करता रहा है। इस प्रकार से उक्त रास्ता मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:52:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

चला चला आ रहा है। तथा प्रार्थी इस रास्ते का बतौर आवागमन के रूप में एज ऑफ राईट सुखाचार के रूप में काम में लेता आ रहा है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में मार्क ए से बी से दर्शाये गये रास्ते वाले स्थल से होकर प्रार्थी से पूर्ववर्ती खातेदार सेटलमेंट के समय से अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करते रहे है इस प्रकार से उक्त रास्ता कदीमी है। लेकिन वक्त सेटलमेंट के नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ता की भूमि रास्ते के रूप में तरमीम नही हो पायी थी। तथा उक्त रास्ते की भूमि अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गयी थी। किन्तु मौके पर रास्ता आज दिन तक वर्तमान में भी चल रहा है। लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही होने की वजह से अप्रार्थीगण बदनियतिपूर्वक उक्त रास्ता बंद करने को आमादा है। तथा इसी नियत से दिनांक 20.12.2020 को अप्रार्थीगण के पारिवारिक सदस्यो ने मौके पर रास्ता बंद करने का प्रयास किया जिस पर प्रार्थी ने मौके पर रास्ते को अवरूद्ध करने वाले व्यक्तियो से समझाईश की लेकिन अप्रार्थीगण नही मान रहे है। इस प्रकार से यदि अप्रार्थीगण, प्रार्थी के इस एक मात्र रास्ते को बंद कर देते है तो प्रार्थी हमेशा हमेशा के लिए अपने खातेदारी भूमि पर आवागमन नही कर पायेगा। जिससे प्रार्थी को भारी परेशानी होगी व नुकशान होगा। इस बाबत् प्रार्थी विधिक प्रावधानो अनुसार रास्ते की मुआवजा राशि देने बाबत् भी तैयार है। व उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण नही मान रहे है। प्रार्थी का इस नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए से बी रास्ता ही एकमात्र कदीमी रास्ता है। इस प्रकार से इस नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार प्रार्थी अपने इस रास्ते को राजस्व रेकर्ड में बतौर रास्ते के रूप में दर्ज करवाने के अधिकारी है। उक्त रास्ता प्रार्थी का कदीमी रास्ता है। जिसका विधि अनुसार मुआवजा राशि भी अदालत श्रीमान द्वारा तय किया जावे। उक्त मुआवजा राशि प्रार्थी देने को भी तैयार है, विकल्पेन न्यायालय में जमा करवाने को तैयार है। नजरी नक्शे में दर्शित रास्ते की भूमि मार्क ए से बी को खसरा संख्या 94 की भूमि से कम किया जाकर रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है। व रास्ते का खसरा नम्बर अलग से भी कायम किया जाना आवश्यक है। एवं उक्त रास्ते की भूमि को भी प्रार्थी रास्ते के रूप में तरमीम करवाने के अधिकारी है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की इजमेंट ऑफ नेसेसिटी है। इसलिए भी प्रार्थी रास्ता कायम करवाने के अधिकारी है। प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानो अनुसार अन्दर म्याद आवश्यक न्याय शूल्क के प्रस्तुत कर पेश किया जा रहा है। जो अदालत श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 तथा 13 से 23 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थीगण स[illegible] की ओर से अधिवक्ता शाकीर हुसैन ने वकालतनामा पेश किया [illegible] अप्रार्थीगण संख्या 12ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि [illegible] पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण में स्थित खसरा संख्या 94 रकबा 16-0[illegible] बीघा भूमि जवाबदेहन्दा एवं दीगर सहखातेदारान् अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि है जिसमें वक्त सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक कोई रास्ता नही है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:52:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

[ख]सरा संख्या 06 में आवागमन के लिए सरहद मौजा जैतारण में स्थित कृषि भूमि [का] ही उपयोग कर रहा है जबकि जवाबदेहन्दागण की कृषि भूमि खसरा संख्या 94 [ग्]राम सोमावास में स्थित है और उसमें वक्त सेटलमेंट से लगायत आज दिन तक कोई [र]ास्ता नही है तथा 40 फिट रास्ता मौके पर होने व प्रार्थी द्वारा आवागमन करने के कथन स्वतः ही झूठे व आधारहीन है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा मौके की स्थिति से बिल्कुल विपरीत होने से जवाबदेहन्दा स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख किया कि दिनांक 20.12.2020 को अप्रार्थीगण के पारिवारिक सदस्यो ने मौक पर रास्ता बंद करने का प्रयास किया जिस पर प्रार्थी ने रास्ता अवरूद्ध करने वाले व्यक्तियो से समझाईश की लेकिन अप्रार्थीगण नही मान रहे है कतई गलत व नामंजूर है क्योकि दिनांक 20.12.2020 से पूर्व ही अप्रार्थी संख्या 07 नरपतमल, अप्रार्थी संख्या 09 गुमानकंवर व अप्रार्थी संख्या 10 नेमकंवर का देहान्त हो गया था दिनांक 20.12.2020 को उक्त अप्रार्थीगण जब दुनिया में ही नही थे तो प्रार्थी ने किन व्यक्तियो से समझाईस की अपने आप में झूठे व मनगढंत तथ्य है जो साबित है। प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 06 में आने जाने हेतू कई रास्ते है जो सरहद मौजा जैतारण में स्थित कृषि भूमि में उपलब्ध है इसके बावजूद भी प्रार्थी ने झूठे व मनगढंत तथ्यो का समावेश कर प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन खसरा संख्या 94 की भूमि में वक्त सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध ही नही है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमावे। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

तहसीलदार जैतारण से सार्वजनिक रास्ता दिये जाने के संबंध में रिपोर्ट न्यायालय हाजा के आदेश क्रमांक/कोर्ट/2022/187 दिनांक 23.02.2022 तथा कोर्ट/2022/442 दिनांक 18.05.2022 द्वारा चाही गई थी, तहसीलदार जैतारण ने अपनी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट मय भू अभिलेख निरीक्षक जैतारण की फर्द मौका 14.03.2022 तथा भू अभिलेख निरीक्षक जैतारण की फर्द मौका दिनांक 11.07.2022 को पेश कर कथन किया कि प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 06 में जाने हेतू वर्तमान में कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को अपने खेत में जाने हेतू रास्ता की आवश्यकता आत्यधिक है। प्रार्थीगण की आराजी की पहुंच के लिए तीने विकल्प है- विकल्प-1. खसरा संख्या 94 मे से मार्क ए से बी 105×09 = 945 वर्गमीटर है जो कि खातेदारी भूमि है। विकल्प-2. खसरा संख्या 94 में से मार्क सी से डी 159×09 = 1431 वर्गमीटर है, जो कि खातेदारी भूमि है। विकल्प-3. खसरा संख्या 41/5, 41/1, 41 में से मार्क ई से एफ 480×09 = 4320 वर्गमीटर बनता है। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन करते हुए पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, भू. अभिलेख निरीक्षक आगेवा की तथ्यात्मक रिपोर्ट आदि का [illegible]करते हुए अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्राव[illegible] एवं निणर्यन निम्नानुसार है-

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:52:57 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध [illegible] अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन [कि]या कि ग्राम आगेवा तहसील जैतारण में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 06 क्षैत्रफल 10-03 बीघा किस्म [बा]रानी दोयम तक पहुंच के लिए कोई अभिलिखित रास्ता एवं पहुंच मार्ग उपलब्ध नही है।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

युक्त आराजी में आवागमन के लिए राजस्व मौजा सोमावास में पटवार हल्का जैतरण में स्थित खसरा संख्या 94 रकबा 16-09 बीघा किस्म चाही सोयम अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है, जिसमें से प्रार्थी आवागमन करते रहे है। अतः प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए अप्रार्थीगण की भूमि में से 40 फुट चौड़ा रास्ता प्रदान किया जावे, जिसके लिए प्रार्थी राशि भुगतान करने के लिए तैयार एवं तत्पर है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की जोत तक पहुंच के लिए रास्ता स्वीकृत फरमावे।

2. अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 तथा 13 से 23 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थीगण संख्या 12 ने जवाबदावा पेश कर कथन किया कि सरहद मौजा सोमावास पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण में स्थित खसरा संख्या 94 रकबा 16-09 बीघा भूमि जवाबदेहन्दा एवं दीगर सहखातेदारान् अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि है जिसमें वक्त सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक कोई 40 फिट का रास्ता नही है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 06 में आवागमन के लिए सरहद मौजा जैतारण में स्थित कृषि भूमि का ही उपयोग कर रहा है जबकि जवाबदेहन्दागण की कृषि भूमि खसरा संख्या 94 ग्राम सोमावास में स्थित है। प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 06 में आने जाने हेतू कई रास्ते है जो सरहद मौजा जैतारण में स्थित कृषि भूमि में उपलब्ध है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खाारिज फरमावे।

3. प्रकरण में तहसीलदार जैतारण एवं भू अभिलेख निरीक्षक आनन्दपुर कालू से तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन चाहा गया। तहसीलदार जैतारण द्वारा दिनांक 21.03.2022 को एवं भू अभिलेख निरीक्षक आनन्दपुर कालू द्वारा दिनांक 11.07.2022 को न्यायालय में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन मय टीआरए रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की जोत खसरा संख्या 06 तक आगमन के लिए वर्तमान में कोई अभिलिखित रास्ता नही है। प्रार्थी की रास्ता बाबत् मांग आत्यंतिक है। प्रार्थी की जोत खसरा संख्या 06 तक पहुंच के लिए तीन विकल्प प्रस्तावित है। 1. प्रथम विकल्प- खसरा संख्या 94 में से मार्क ए से बी 105 मीटर लम्बा व 09 फीट चौड़ा रास्ता जिसका रकबा 945 वर्गमीटर जो अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से है। 2. द्वितीय विकल्प- खसरा संख्या 94 में से मार्क सी से डी 159 मीटर लम्बा व 09 मीटर चौड़ा रास्ता जिसका रकबा 1431 वर्गमीटर है, जो अप्रार्थीगण की भूमि में से है। तृतीय विकल्प- खसरा संख्या 41/5, 41/1, तथा 41 में से मार्क ई से एफ 480 मीटर लम्बा व 09 मीटर चौड़ा रास्ता जिसका रकबा 4320 वर्गमीटर वर्गमीटर है।

उपर्युक्त तीनो प्रस्तावित विकल्पो की भूमि मौके पर खाली पड़ी है। किसी प्रकार का निर्माण नही है। प्रस्तावित तीनों विकल्पों में से प्रथम विकल्प न्यूनतम एवं निकटतम दूरी पर स्थित होने से प्रथम विकल्प को स्वीकार करते हुए सार्वजनिक रास्ता घोषित करना विधिसंगत एवं उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:32:57 IST
Reason: SelfAttested

4. रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 (क) में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार हैः-

251- क ''अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना-(1) जहां

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

(क)- कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

(ख)- कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है-

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि-

(A)- यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(B)- अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है-

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2)- जहां-उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3)- वे व्यक्ति, जिनको उपधारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

5. इस प्रकार पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी जोत तक पहुंच के लिए अभिलिखित रास्ता प्रदान करने की, की गई मांग आत्यंतिक आवश्यकता पर आधारित है। प्रार्थी की जोत खसरा संख्या 06 तक पहुंच के लिए कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नही है। यह उपलब्ध भू नक्शा, तहसीलदार जैतारण एवं भू अभिलेख निरीक्षक आनन्दपुर कालू की ओर से प्रेषित जांच प्रतिवेदन से सुस्पष्ट [illegible] प्रार्थी द्वारा केवल सुविधा के लिए पहुंच मार्ग की मांग नही की गई [illegible] आनन्दपुर कालू द्वारा जांच प्रतिवेदन में प्रस्तावित प्रथम विकल्प [illegible] 6 गैर मुमकिन रास्ते से अप्रार्थीगण की आराजी ग्राम सोमावास में स्थित खसरा संख[illegible] 94 में से मार्क ए से बी तक 105 मीटर लम्बा व 09 मीटर चौड़ा रास्ता जिसका कुल रकबा 945 वर्गमीटर है, न्यूनतम एवं निकटतम विकल्प होने के कारण स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:52:57 IST
Reason: SelfAttested

6. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील जैतारण की रिपोर्ट अनुसार प्रभावित आराजी की प्रचलित डीएलसी दर 5,76,028/- रूपये प्रति हैक्टर अर्थात 57.60 रूपये प्रति वर्गमीटर है। उक्त प्रस्तावित रास्ता भूमि जिसका कुल रकबा 945 वर्गमीटर की प्रतिकर राशि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर अर्थात् 5,76,028/- रूपये प्रति हैक्टर अर्थात 57.60 रूपये प्रति वर्गमीटर की दुगुनी अर्थात 115.20 रूपये प्रति वर्ग मीटर मानते हुये रास्ते हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित आराजी में से कम किया गया कुल रकबा 945 वर्गमीटर के लिये कुल प्रतिकर राशि खसरा संख्या 94 की खातेदारी आराजी हेतू प्रभावित अप्रार्थीगण खातेदारान् को 1,08,900/- रूपये (अक्षरे एक लाख आठ हजार नौ सो रूपये मात्र) निर्धारित की जाती है।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विभ्रम अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बखूबी साबित होने से इसे स्वीकार किया जाना तथा प्रार्थी की जोत तक पहुंच के लिए खसरा संख्या 96 गैर मुमकिन रास्ते से अप्रार्थीगण की आराजी सरहद मौजा सोमावास में स्थित खसरा संख्या 94 अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में मार्क ए से बी की भूमि में से प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 06 की सीमा तक पहुंच के लिए भू अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट में खसरा संख्या 94 मार्क ए से बी के रूप में दर्शित प्रस्तावित रास्ता जो 105 मीटर लम्बा व 09 मीटर चौड़ा दर्ज किया जाना तथा इसके प्रतिकर स्वरूप निर्धारित कुल राशि 1,08,900/- रूपये प्रार्थी से प्राप्त कर प्रभावित खातेदारान् को प्रभावित रकबा एवं हिस्सा अनुसार भुगतान किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें तथा सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी ग्राम जैतारण तहसील जैतारण जिला-पाली राज0 के खसरा नम्बर 06 रकबा 10-03 बीघा किस्म बारानी दोयम की जमीन तक पहुंच मार्ग के लिये निकटतम अभिलिखित रास्ता खसरा संख्या 96 गैर मुमकिन रास्ते से अप्रार्थीगण की आराजी सरहद मौजा सोमावास में स्थित खसरा संख्या 94 अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से मार्क ए से बी तक 105 मीटर लम्बा व 09 मीटर चौड़ा रास्ता जिसका कुल रकबा 945 वर्गमीटर बनता है, भूमि पर से अप्रार्थीगण खातेदारान की अभिधृति निर्वापित करते हुए, इसका रकबा सिवाय चक भूमि एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता सिवाय चक स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता भूमि की प्रतिकर राशि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर की दुगुनी मानते हुये रास्ते हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित आराजी में से कम किया गया कुल रकबा 945 वर्गमीटर के लिये कुल प्रतिकर राशि 1,08,900/- रूपये (अक्षरे एक लाख आठ हजार नौ सौ रूपये मात्र) निर्धारित करते हुए तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित प्रतिकर राशि 1,08,900/- रूपये प्रार्थी से प्राप्त कर प्रभावित खातेदारान् के मध्य रकबा व हिस्से के अनुपात में भुगतान करें। सम्बन्धित खातेदारान् द्वारा राशि प्राप्त नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:52:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

करनें पर उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे खातेदार/वारिसान ऐसी राशि प्राप्त नहीं कर लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार, जैतारण भू-अभिलेख में रास्ता अमल-दरामद कर मौके पर सीमाँकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। तहसीलदार जैतारण को तहरीर जारी हों। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक **29/08/2022** को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:52:57 IST
Reason: SelfAttested